Smt. Shanta Singh
Sr. Asst. Prof.
Deptt. of L.S.W.
SNSRKS College, Saharsa.

कृषि श्रमिक

कृषि श्रमिक ग्रामीण श्रमिक वर्ग का एक बहुत बड़ा अंश है। ग्रामीण समाज का एक बहुत बड़ा अनुपात ग्रामीण श्रमिकों का होता है, जिनमें से ज्यादातर खेतिहर मजदूर होते हैं। ग्रामीण श्रमिक खेतिहर या गैर-खेतिहर हो सकते हैं किन्तु भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि श्रमिक ज्यादा हैं। 'कृषि-श्रमिकों' से तात्पर्य उन व्यक्तियों से है, जो नकद या जिन्स के रूप में मजदूरी लेकर कृषि-कार्य करते हैं, लेकिन जिनके पास अपनी भूमि नहीं होती। कृषि-श्रमिकों सामान्यतः उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो दूसरों के खेतों पर काम करते हैं तथा अपना गुजारा चलाते हैं। किन व्यक्तियों को कृषि-श्रमिक कहा जाय, यह कहना वास्तव में इतना आसान नहीं है। फिर भी इसकी परिभाषा <u>द्वितीय पंचवर्षीय योजना</u> के प्रतिवेदन में दिया गया जो इस प्रकार है :-

"कृषक श्रमिक वह व्यक्ति है जो अपने वस्तुतः काम करने वाले वर्ष भर के कुल दिनों के आधे से अधिक दिनों में कृषि श्रमिक के रूप में काम करता हो।"

<u>**प्रथम कृषि श्रम जाँच समिति (1950-51) के अनुसार**</u>,

"कृषि श्रमिक वे व्यक्ति हैं जो कृषि-कार्य में किराये के मजदूर के रूप में कार्य करते हों और वर्ष में आधे से अधिक दिनों तक उन्होंने कृषि में कार्य किया हो।"

Scanned with CamScanner

द्वितीय कृषि श्रम जाँच समिति (1956-57) ने कृषि के अलावा अन्य सहायक उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों को भी कृषि श्रमिक माना। उनके अनुसार, "कृषि श्रमिक वे व्यक्ति हैं जो कृषि कार्य में न केवल फसलों के उत्पादन में काम पर रखे गये हों, वरन् जो अन्य कृषि धन्धों (जैसे फल-उत्पादन, पशुपालन, दुग्ध-व्यवसाय, आदि), में किराये के मजदूर के रूप में कार्य करते हों।"

जन-गणना रिपोर्ट के अनुसार, कृषि-श्रमिक वह व्यक्ति है जो दूसरे व्यक्ति के भूमि पर केवल श्रमिक के रूप में काम करता है, अपनी सेवा के बदले में मुद्रा या फसल का कुछ भाग प्राप्त करता है और कार्य के सम्बन्ध में कोई जोखिम नहीं रखता है।"

कृषि-श्रमिकों की अनेक समस्याएँ हैं जो जटिल एवं गंभीर हैं। उनकी कुछ प्रमुख समस्याएं निम्नांकित हैं—

(1) श्रमिकों का शोषण :- श्रमिकों का मालिकों द्वारा कई प्रकार के से शोषण होता है। कहने के लिए तो उन्हें अनेक प्रकार की सहुलियतें दी जाती हैं परन्तु वस्तुतः वे सुविधाएं धोखा-धड़ी होती हैं। शोषण अपनी इस चरम सीमा पर पहुँच जाता है कि वस्तुतः दिए गए आराम एवं सुविधाओं का कोई भी लाभ श्रमिकों को नहीं मिलता। बिहार में अग्रिम रूपए दिए जाते हैं परन्तु श्रमिक को भुगतान तक काम छोड़ने की अनुमति नहीं होती। उसी भाँति उपज में हिस्सा के आधार पर जमीन दी जाती है परन्तु श्रमिक को स्वीकार तथा घरेलू नौकर

दोनों ही रूप में काम करने पड़ते हैं अन्यथा भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधाओं से वंचित कर दिया जाता है।

(2) मौसमी रोजगार या अर्द्ध-बेरोजगारी की समस्या :-

कृषि श्रमिकों की सबसे प्रमुख समस्या है। कृषि के मौसम में ही केवल उन्हें रोजगार मिल पाता है, बाकी समय बेकार रहना पड़ता है। द्वितीय कृषि जाँच समिति के अनुसार औसतन एक कृषि श्रमिक को साल भर में 197 दिन काम मिलता है। 40 दिन वह अपना कार्य करता है, 128 दिन बेरोजगार रहता है।

(3) मजदूरी का नीचा स्तर :- कृषि श्रमिकों की मजदूरी मजदूरियों का स्तर बहुत नीचा है तथा जनघनता वाले प्रदेशों में उनकी मजदूरी का स्तर और भी नीचा है। अतएव परिवार का भरण-पोषण करने के लिए पुरुषों के साथ ही साथ स्त्रियों और बच्चों को भी मजदूरी करनी पड़ती है। कृषि-क्षेत्र में न्यूनतम मजदूरी कानून को प्रभावपूर्ण ढंग से लागू करने की मशीनरी अपर्याप्त है। अधिकांश कृषि-श्रमिकों को इन कानून की जानकारी भी नहीं है। ग्रामीण श्रमिक जाँच की रिपोर्ट के अनुसार, 1974-75 में पुरुष श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 3.24 रुपये, स्त्री श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 2.27 रुपये तथा बाल श्रमिकों की दैनिक मजदूरी 1.82 रुपये थी।

(4) काम के घन्टों की अनिश्चितता :- एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र, एक मौसम से दूसरे मौसम तथा एक फसल से दूसरी

फसल के लिए कृषि श्रमिकों के काम के घण्टे अलग-अलग पाये जाते हैं। फसलों के बुनाई और कटाई के समय कृषि-श्रमिकों को अनिवार्यतः लम्बे घंटों तक काम करना पड़ता है। आकस्मिक श्रमिक विशेष रूप से कठिन परिस्थितियों में और लम्बे घण्टों तक काम करते हैं। सामान्यतः किसी में कार्य के घण्टे सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक होते हैं और कभी-कभी कृषि श्रमिकों को रात में भी कार्य करना पड़ता है। वर्तमान दशाओं में उनके काम के घंटों का नियमन भी सम्भव नहीं है, क्योंकि भारत में, खेत बहुत छोटे-छोटे हैं तथा प्रायः टुकड़ों में बँटे गए हैं।

(5) <u>आवास की समस्या</u> — कृषि श्रमिकों के सामने आवास की बहुत बड़ी समस्या है। वे प्रायः भू-पतियों की अनुमति से उनकी बेकार भूमि पर अपनी झोंपड़ियाँ बनाकर रहते हैं। गंदी बस्ती, फूस-मिट्टी का मकान, पानी और कीचड़ से भरा-पड़ा रहता है। घर के आगे गंदी नालियाँ बहती रहती हैं जिनसे उनके स्वास्थ्य एवं कार्य-क्षमता पर बुरा असर पड़ता है। निर्धनता और ऋणग्रस्तता के कारण खेतिहर मजदूरों के पास आवास की समुचित व्यवस्था नहीं है। वे भूस्वामियों और गाँव समाज के स्वामित्व की भूमि पर झोंपड़ी बनाकर रहते हैं। मनुष्य और पशुओं को उसी एक झोंपड़ी में रहना है और सोना पड़ता है। वर्षा-ऋतु और शीत काल में मकानों की बुरी दशा के कारण कृषि-श्रमिकों को अपार कष्ट भोगना पड़ता है। अनुमान है कि लगभग 120 लाख ऐसे कृषि श्रमिक हैं जिनके पास मकान बनाने के लिए भूमि नहीं है।

(6) कार्य दशा – श्रमिकों को सदा प्रतिकूल परिस्थितियों में काम करना पड़ता है। तीखी धूप, झिलमिलाती वर्षा, तूफानी हवा और कड़ाके के सर्दी में भी उचित संरक्षण के अभाव में श्रमिकों को काम करना पड़ता है जिसका प्रभाव शारीरिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। उन्हें आराम तो होता ही नहीं काम के लिए समुचित पारिश्रमिक भी नहीं मिल पाता। इतना ही नहीं कृषि-श्रमिकों के काम के घण्टे भी एक नहीं होते। स्थान और मौसम के अनुसार वे बदलते रहते हैं। कभी-कभी तो ऐसा भी देखा जाता है कि श्रमिकों को बिना आराम किये रात-दिन काम करना पड़ता है। कृषि श्रमिकों के समक्ष काम की दशा बहुत गंभीर होती है। धान की फसल बोने के लिए दिनभर पानी से भरे खेत में काम करना पड़ता है। पानी में हल जोतना, निकौनी करना पड़ता है। गर्मी के दिनों में दिन भर धूप में काम करना पड़ता है जिससे उसके स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है।

(7) ऋण ग्रस्तता :- अर्द्ध बेरोजगारी के कारण, सामाजिक कुप्रथाओं के कारण तथा श्रमिकों की स्वयं अपनी बुरी आदतों तथा कुव्यसनों के कारण प्राप्त आय से उनका खर्च नहीं जुट पाता है और वे कर्ज लेने को मजबूर हो जाते हैं। उनका कर्ज तो एक बार हो जाता है तो वह सध भी नहीं पाता। इसके दो कारण हैं। आमदनी से अधिक खर्च होने के प्रवृत्ति के कारण इतनी बचत नहीं हो पाती कि श्रमिक अपना कर्ज उतार पाये। दूसरी बात यह होती है कि कर्ज-अदायगी के लिए सूद की दर भी बहुत ज्यादा होती है। श्रमिक सूद ही भरता रह

जाता है और मूल सहित ब्याजों का दोगुना हो सकता है। एक विद्वान ने इसी कारण ठीक ही विचार व्यक्त किया है – "वह (भारतीय किसान या श्रमिक) कर्ज में पैदा होता है, कर्ज में पलता है और कर्ज में ही मर जाता है तथा मरने के बाद अपने उत्तराधिकारी पर कर्ज भुगतान का दायित्व छोड़ जाता है।"

(8) निम्न जीवन-यापन तथा सामाजिक स्तर :- आर्थिक एवं सामाजिक दोनों ही दृष्टियों से उनका स्तर बहुत नीचा होता है। आर्थिक दृष्टि से श्रमिकों को बहुत कम मजदूरी मिलती है जिनसे वे अपना अत्यावश्यक खर्च भी नहीं जुटा पाते। अतः उनका रहन-सहन अत्यन्त निम्न कोटि का होता है। सामाजिक दृष्टि से श्रमिक उन जातियों के लोग होते हैं जिन्हें सदियों से हेय दृष्टि से देखा जाता है। उच्च जातियों के हाथों उनका सदैव शोषण होता रहता है। समय-समय पर श्रमिकों को गाँव के महाजन, मालिक या अन्य संभ्रान्त व्यक्तियों का बेगार भी करना पड़ता है और उन्हें काम के बदले कोई मजदूरी नहीं मिलती है।

(9) संगठन का अभाव :- कृषि श्रमिक अशिक्षित और अज्ञानी हैं। गाँवों के विस्तृत क्षेत्र में फैले रहने के कारण उनमें संगठन का अभाव पाया जाता है। स्थायी कृषि श्रमिकों की स्थिति बंधुआ मजदूरों से मिलती-जुलती है। संगठन के अभाव में उनकी सौदाकारी शक्ति बहुत कमजोर होती है तथा उन्हें भूस्वामी के शोषण का शिकार होना पड़ता है।

(10) अशिक्षा :- श्रमिक अधिकांशतः अशिक्षित ही होते हैं

जिससे वे महाजन तथा अन्य स्वार्थी व्यक्तियों द्वारा बुरी तरह ठगे जाते हैं। अशिक्षा एवं अज्ञानता के कारण भी ये कृषि श्रमिक अपनी माँगों को नहीं मनवा पाते हैं।

(11) गैर-कृषि कार्यों की न्यूनता :- ग्रामीण क्षेत्र में गैर-कृषि व्यवसायों की न्यूनता कृषि श्रमिकों की नीची मजदूरी तथा दयनीय आर्थिक स्थिति के लिए प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी है। ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंख्या-वृद्धि के साथ-साथ एक ओर कृषि श्रमिकों की संख्या बढ़ी है तथा दूसरी ओर, गैर-कृषि कार्यों की अनुपस्थिति एवं अन्तर्क्षेत्रीय गतिशीलता के अभाव के कारण सीमित कृषि-भूमि पर जनसंख्या का दबाव बढ़ता गया है।

(12) बेगार की समस्या - कृषि श्रमिकों को ग्रामीण साहूकारों और बड़े-बड़े भू-स्वामियों से ऋण लेना पड़ता है। जब भू-स्वामी उन्हें ऋण देते हैं या उनकी झोंपड़ी के लिए भूमि देते हैं, तब उन्हें सदा के लिए अपने यहाँ नौकरी करने का वचन देने को बाध्य कर देते हैं कि ऋण पर ब्याज की दर इतनी अधिक होती है कि श्रमिक के लिए उसे जीवन-पर्यन्त चुकाना संभव नहीं होता तथा मृत्यु के बाद उसके पुत्र को बंधुआ मजदूर के रूप में सेवा देनी पड़ती है।

(13) अन्य समस्याएँ :- श्रमिकों की और भी कई छोटी-मोटी समस्याएं हैं। वे हानि-कारक सामाजिक कुरीतियों तथा परम्पराओं के शिकार हैं, जिस कारण विवाह, जन्म, मृत्यु आदि संस्कारों के अवसर पर खुलकर खर्च करके आजीवन मुसीबत खरीदते हैं।

Scanned with CamScanner

भारतीय कृषि श्रमिकों की समस्याएं अत्यन्त गंभीर है और उनकी दशा अत्यन्त शोचनीय है। यदि सच कहा जाय तो भारतीय कृषि-श्रमिकों की दयनीय स्थिति भारत सरकार के लिए कलंक है। और मनुष्य के प्रति मानवीय व्यवहार की चुनौती है। इसलिए उनके विकास के लिए हर संभव प्रयास को शीघ्रता-शीघ्र कार्य रूप देने की नितान्त आवश्यकता है।

कृषि श्रमिकों की समस्याओं के सुलझाने पर ही देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास निर्भर करता है। यह वर्ग संख्या में बड़ा तथा देश का सबसे अधिक निर्धन है। 1950 ई० में कृषि सुधार समिति ने लिखा था, "कृषि-सुधार कार्यक्रम में कृषि श्रमिकों की समस्या की उपेक्षा करना ऐसा ही है जैसे, किसी भयंकर घाव को बिना इलाज के छोड़ देना। दुर्भाग्य से ऐसा ही हुआ है।

भारतीय कृषि श्रमिकों की समस्याओं के समाधान हेतु निम्न लिखित सुझाव दिये जा सकते हैं:-

(i) शिक्षा का प्रसार- कृषि श्रमिकों में व्यापक रूप से शिक्षा का प्रसार किया जाना चाहिए ताकि वे भूमि पतियों के शोषण से बच सकें तथा अपनी मजदूरी की सही गणना कर सकें।

(ii) भूमि हीन श्रमिकों के लिए भूमि की व्यवस्था:- इसके लिए यह आवश्यकता है कि कृषि योग्य बेकार एवं बंजर भूमि को खेती के योग्य बनाया जाना चाहिए।

साथ ही कृषक खातों की उच्चतम सीमा निर्धारित की जाय, जिससे कि व्यर्थ में जानेवाली भूमि पर इन कृषि श्रमिकों को खेती करने की सुविधा प्रदान की जा सके। भूदान-आन्दोलन को अधिक तेज करने की आवश्यकता है।

Scanned with CamScanner

(iii) कृषि उद्योगों का विकास :- गाँव में कृषि उद्योग, जैसे - मुर्गी पालन आदि, का विकास किया जाना चाहिए जिससे कृषि श्रमिक खाली समय में उसे कार्य कर सकें।

(iv) लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास :- जब कृषि श्रमिक कृषि कार्य में न लगे सकेंगे तो उस समय वे उन उद्योगों को अपनाकर अपनी जीविका चला सकेंगे।

(v) ग्राम सहकारिताओं का निर्माण कर सरकार को सर्वजनिक निर्माण कार्य करवाना चाहिए।

(vi) कृषि श्रम संगठनों की स्थापना करने के लिए उत्साहित करना चाहिए।

(vii) ग्रामीण रोजगार केन्द्रों की स्थापना :- कृषि श्रमिकों को गति शीलता बढ़ाने तथा कार्य की सुविधाओं और अवसरों के विषय में सूचना देने की दृष्टि से ग्रामीण रोजगार केन्द्रों की स्थापना की जानी चाहिए।

(viii) कार्यों के घण्टों का नियम :- औद्योगिक श्रमिकों के जैसा कृषि श्रमिकों के कार्य के घण्टे का निर्धारण किया जाना चाहिए एवं निर्धारित समय से अधिक कार्य करने पर अतिरिक्त मजदूरी की व्यवस्था होनी चाहिए।

(ix) कार्य करने की दशाओं में सुधार :- उनसे बेगार नहीं लिया जायगा तथा पर्याप्त अवकाश की व्यवस्था होनी चाहिए तथा दुर्घटना आदि पर सहायता का प्रावधान होना चाहिए।

(x) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत तय की गयी न्यूनतम मजदूरी का प्रभावशाली क्रियान्वयन किया जाना चाहिए।

(xi) कृषि श्रमिकों को रहने के लिए आवास की पर्याप्त व्यवस्था की जानी चाहिए।

Scanned with CamScanner